

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
Security Printing and Minting Corporation of India Limited

मिनीरत्न श्रेणी-I, सीपीएसई
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)
Miniratna Category-I, CPSE
(Wholly owned by Government of India)

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/47 (खण्ड XIV)/14/7810

दिनांक 13.02.2014

सेवा में,

सभी महाप्रबंधक

टकसाल/मुद्रणालय/कागज कारखाना,

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड।


विषय: मासिक डिस्सेमिनेशन रिपोर्ट।

महोदय,

हर माह भेजे जाने वाली मासिक डिस्सेमिनेशन रिपोर्ट के संदर्भ में मुझे आपको निम्नलिखित सूचित करने का आदेश हुआ है:-

- 1.1 भा प्र मु मु नि नि लि की इकाइयों द्वारा विक्रेताओं/सरकार को भुगतान आर टी जी एस/ एन इ एफ टी और चैकों के माध्यम से किया जा रहा है। सभी इकाइयों द्वारा किया जा रहा ई - भुगतान का मापदण्ड एक समान होना चाहिए। इसलिए, सरकारी संस्थानों को चैक द्वारा किए जाने वाले भुगतान को प्रार्थमिक रूप से ई - भुगतान के मानदण्ड से निकाल दिया जाए तथा बाकि विक्रेताओं/ आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान केवल आर टी जी एस/ एन इ एफ टी के द्वारा ही किया जाए तथा 100% लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश की जाए।
- 1.2 मासिक डिस्सेमिनेशन रिपोर्ट भेजते समय संबंधित अधिकारी हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें एवं अपना नाम तथा पदनाम स्पष्ट रूप से हर पृष्ठ पर लिखें।
2. इसे सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,



(वीरेन्द्र कुमार आनन्द)

वरिष्ठ सतर्कता अधिकारी

प्रति:

1. अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक महोदय के विशेष कर्तव्य अधिकारी।
2. निदेशक (मा सं)/निदेशक (तकनीकी)
3. महाप्रबंधक (सू. प्रौ)
4. अपर महाप्रबंधक (वित्त)
5. सभी उप-महाप्रबंधक (निगम मुख्यालय)
6. सभी वरिष्ठ सतर्कता अधिकारी एवं सतर्कता सहायक (निगम मुख्यालय/ टकसाल/ मुद्रणालय/ कागज कारखाना) - समन्वय के लिए।

